न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 12/23 दायरा दिनांक 03.07.2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल करीम उम्र 65 साल जाति मुस्लमान निवासी समरानिया तह0 शाहावाद जिला बारां राज0 वादी

बनाम

1–मोहम्मद इस्लाम अब्दुल करीम जाति मुस्लमान निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–रिंकू पुत्र मोहम्मद इस्लाम जाति मुस्लमान निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

<u>निर्णय दिनांक– 03.09.2025</u>

उपस्थित –

वादी की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कुशियारा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में आराजी ख0नं0 641/1056 रकबा 1.12 बीघा कृषि भूमि स्थित है यह आराजी वादी के खाते एवं स्वामित्व की है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित भूमि एन.एच.27 के किनारे स्थित है जिसमें से 4.00 बीघा भूमि हाईवे निर्माण में अवाप्त हुई है शेष रकबा 1.12 बीघा मौके पर स्थित है जिस पर वादी का बोर लगा है, जिससे आराजी सिंचित है। विवादित आराजी से लगी हुई वादी प्रतिवादी के सहखाते की अन्य आराजी स्थित है। वादी का प्रतिवादीक्रम 1 सगा भाई तथा प्रतिवादीक्रम 2 उसका पुत्र है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त आराजी पर कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 14.04.2023 को जब वादी विवादित खेत की सफाई कर रहा था तब प्रतिवादीगण ने पहुंचकर वादी को धमकी दी है कि खेत को हम काश्त करेंगे तुम इसकी सफाई मत करो, वादी ने कहा कि तुम काश्त क्यों करोगे तो प्रतिवादीगण कहने लगे कि हमारी जमीन हाईवे से लगी हुई नहीं है, इस जमीन पर कब्जा करने से हमारे खेत की कीमत हो जायेगी, जाते समय प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि विवादित भूमि पर इस वर्ष कब्जा करेंगे। प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदा[illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 26.02.2024 को अरविन्द शर्मा [illegible] कुबेर यादव एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग उपस्थिति दी तथा वकालतनामा [illegible] पेश करने को अवस[illegible], परन्तु कई अवसर दिये जाने पर भी वकालतनामा व जबाव पेश नहीं किया और दिनांक 22.04.2025 को प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested

03/09/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वादी की ओर से साक्ष्य में वादी के बयान कराये तथा नकल जमाबंदी ग्राम कुशियारा संवत 2072–75 खाता संख्या 5 को प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2 तथा नकल खसरा गिरदावरी को प्रदर्श 3 से प्रदर्श कराया। वकील वादी की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 से वादी विवादित आराजी ख0नं0 641/1056 रकबा 1.12 बीघा ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद का खातेदार होना प्रमाणित है, जिसमें प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई वैधानिक हक अथवा अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खाते की आराजी ख0नं0 641/1056 रकबा 1.12 बीघा ग्राम समरानिया तहसील शाहाबाद के बावत वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/09/2

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested